महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-निरी/170/85-96/पार्ट-6/2021/61148-250 दिनांक:-23.12.2021

स्थायी आदेश 02/2021

इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेशों/परिपत्रों के अतिक्रमण में प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कारागृह/उप कारागृह/महिला बंदी सुधारगृह, खुला बंदी शिविरों इत्यादि के वार्षिक निरीक्षण हेतु निम्न मापदण्ड निधारित किये जाते हैं:-

निरीक्षणकर्ता अधिकारी	केन्द्रीय कारागृह	जिला कारागृह	उप कारागृह	खुला बंदी शिविर
उप महानिरीक्षक कारागार रेंज	50%	50%	50%	50%
अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह	06 माह में एक बार	-	100%	100%
अधीक्षक/उपाधीक्षक, जिला कारागृह	-	06 माह में एक बार	100%	100%

1. निरीक्षणकर्ता विभिन्न केन्द्रीय, जिला कारागृहों एवं अन्य कार्यालयों के वार्षिक निरीक्षण हेतु निरीक्षण अधिकारी के आदेश पृथक से जारी किये जाएँगे।

2. अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह द्वारा स्वयं के कारागृह के अतिरिक्त अपने जिले में स्थित समस्त उप कारागृहों एवं खुला बंदी शिविर का भी वार्षिक निरीक्षण किया जाना है।

3. अधीक्षक/उप अधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह द्वारा जिले में स्थित उप कारागृहों/बंदी खुला शिविरों का नियमित रूप से अनौपचारिक मुआयना/विजिट भी किया जाना आवश्यक होगा।

4. मापदण्डानुसार निरीक्षण में कारागार के समस्त कार्यो की समीक्षा की जानी चाहिये। महत्वपूर्ण बिन्दु जिन पर निरीक्षण अधिकारी को अवश्य ध्यान देना चाहिये, वे निम्न है:-

अ- पूर्व निरीक्षण की अनुपालना

1. अनुपालना की प्रगति की समीक्षा एवं की गयी अनुपालना का नमूना परीक्षण किया जाये।

ब- भवन

1. निरीक्षण के समय अधिकारी जेल के सभी वार्ड, बैरक्स, भोजनशाला व अन्य भवनों का निरीक्षण कर इनकी मरम्मत की आवश्यकता का आंकलन करें व आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
2. प्रहरी लाईन व आवासगृहों का निरीक्षण
3. जेल परिसर का निरीक्षण व अतिक्रमण की स्थिति
4. जेल परिसर, प्रहरी लाईन में साफ-सफाई एवं रोशनी की स्थिति
5. बंदी शौचालय/स्नानघर की स्थिति

स- सुरक्षा-व्यवस्था

1. कारागृह की सामान्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्था
2. आपातकालीन अलार्म व लाईव वायर का निरीक्षण व चालू होने संबंधी टिप्पणी
3. जेल गेट, प्रहरी लाईन, आवासगृहों का निरीक्षण व उनकी स्थिति
4. जेल नियमों के अनुसार बंदियों की बैरक्स में परिवर्तन तथा आदतन बंदियों को सामान्य बंदियों से अलग रखने की व्यवस्था
5. जेल नियमों के अनुसार विचाराधीन व दण्डित बंदियों का पृथक्कीकरण
6. अनाधिकृत व आवश्यकता से अधिक निजी उपयोग की वस्तुएं/खाद्य सामग्री
7. बंदी प्रवेश एवं जेल में तलाशी व्यवस्था
8. कारागृह में बंदियों को रखने की निर्धारित क्षमता व ओवर क्राउडिंग होने पर बंदियों को अन्यत्र स्थानान्तरित जेल सहित सुझाव
9. हथियारों का निरीक्षण
10. विडियो कॉन्फ्रेन्स सुविधा की स्थिति
11. सी.सी.टीवी व अन्य सुरक्षा उपकरणों की स्थिति

द- बंदियों का रख-रखाव

1. जेल नियमानुसार वस्त्र, बिस्तर तथा बर्तन व दैनिक उपयोग की सामग्री
2. भोजन के उपभोग/भोजन सामग्री की मात्रा, गुणवत्ता एवं परेड में वितरण
3. विचाराधीन बंदियों की आवधिक समीक्षा का पूर्वावलोकन
4. विचाराधीन बंदियों को निर्धारित तिथि पर न्यायालय में पेश करने हेतु पुलिस गार्ड की उपलबधता

5. जेल में बंद बंदियों से साक्षात्कार करके जेल संबंधी शिकायतों का निराकरण
6. शुद्ध जल की आपूर्ति
7. बंदियों के स्वास्थ्य व बीमार बंदियों की चिकित्सा-व्यवस्था
8. बंदियों की मुलाकाल संबंधी व्यवस्था/शिकायतें
9. बंदी अधिकारियों की मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्रों के अनुसार परिवर्तन की सुनिश्चितता

य- जेल श्रम

1. बंदी श्रम की उपलब्धता एवं जेल सेवा/ उद्योग हेतु नियोजन
2. उद्योग द्वारा उत्पादन, विक्रय एवं आपूर्ति आदेशों की स्थिति
3. जेल उद्योग के उपकरणों की स्थिति एवं रख-रखाव
4. बंदी को पारिश्रमिक भुगतान एवं पीड़ितों को भुगतान
5. जेल उद्योग का अभिलेख संधारण

र- अभिलेख

1. अधिकारियों की रिपोर्ट बुक
2. बंदियों का दण्ड रजिस्टर
3. दंडित व विचाराधीन बंदियों की सही रिहाई का निरीक्षण
4. सी.डी./आर.एल.डी. रजिस्टर
5. सी.एन.डब्ल्यू./सी.ओ./सी.डब्ल्यू रजिस्टर
6. पैरोल/ओपन केम्प/ सलाहकार मण्डल रजिस्टर
7. प्रिजनर्स प्रॉपर्टी (पी.पी.) रजिस्टर
8. मुलाकात व पत्राचार रजिस्टर
9. लेबर रजिस्टर
10. वाण्टेड रजिस्टर
11. पेशी रजिस्टर
12. गेट रजिस्टर

ल- संस्थापन-लेखा निरीक्षण

1. लंबित वेतन स्थिरीकरण प्रकरण
2. लंबित पेंशन प्रकरण
3. केश व डबल लॉक का भौतिक सत्यापन
4. स्टोर्स का निरीक्षण
5. कर्मचारियों के संस्थापन अभिलेखों की सेम्पल चैकिंग

6. सभी लेखों तथा अभिलेखों के संधारण को सुनिश्चित करना
7. टी.ए./मेडिकल इत्यादि के बिल एवं उनकी बकाया स्थिति
8. मनी ऑर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/जी.ए. 55
9. जेल सेवा/उद्योग सेवा के बिल व उनकी बकाया स्थिति
10. लबिंत ए.सी.आर. प्रकरण
11. बन्दी केन्टीन एवं PICS संबंधी अभिलेख

व- अन्य विषय

1. कर्मचारियों की सम्पर्क सभा लेकर उनकी समस्याओं को सुनना तथा उनका अविलम्ब निराकरण का प्रयास
2. जेल की सामान्य स्थिति तथा सुरक्षा-व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थानीय प्रशासनिक/पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क
3. खेलकूद गतिविधियां
4. कर्मचारियों एवं उनके परिवार हेतु आवश्यक सुविधाएं

यह स्थायी आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान

प्रतिलिपि:-

1. अति. महानिदेशक कारागार, राजस्थान।
2. महानिरीक्षक पुलिस, कारागार, राजस्थान।
3. महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
4. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/ जोधपुर/ उदयपुर।
5. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/उच्च/जिला कारागृह।
6. प्राचार्य कारागार प्रशिक्षण संस्थान, घुघरा अजमेर।
7. समस्त प्रभारी महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।
8. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
9. प्रभारी, बाल बंदी सुधारगृह जैतारण, पाली।
10. प्रभारी, सामान्य शाखा।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार, राजस्थान